

\*प्रेस नोट\*

\*जनपद – संतकबीरनगर\*

\*दिनांक 02.12.2025\*

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार\***

\*थाना महुली पुलिस\* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 132 वाहनों से 1,61,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 02.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 132 वाहनों से 1,61,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिकोण संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 02.12.2025 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**सजा विवरण:-**

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त खुर्शीद अहमद उर्फ हीरो पुत्र नामाहुद निवासी लुनिअछवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 429/201 भादवि0 व 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का कारावास भुगतना होगा।

**\*थाना धनघटा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वाचित को किया गिरफ्तार\***

**\*अभियुक्त के पास से 01 अदद पिस्टल 9MM व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा \*श्री अभय नाथ मिश्रा\* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा \*श्री जयप्रकाश दूबे\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 25.11.2025 को हत्या के प्रयास में संलिप अभियुक्त नाम पता नितीश सिंह उर्फ अक्षय सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह निवासी अमौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मझौरा तिराहा के पास मूड़ाड़ीहा मार्ग से गिरफ्तार किया गया तथा 01 अदद पिस्टल 9MM व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

**\*घटना का विवरण:-**\* दिनांक 26.11.2025 को थाना धनघटा पर वादी श्री धनंजय सिंह पुत्र विक्रम सिंह ग्राम दुल्हापार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 25.11.2025 को बाजार दुल्हापार में घरेलू सामान लेने के लिए गये थे उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर नितीश सिंह उर्फ अक्षय सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, ध्रुप सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह, रोहित सिंह पुत्र मानधाता सिंह, अश्वनी पुत्र रंगीलाल व गोपी पुत्र गुलाब निवासीगण अमौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर अवैध असलहा लेकर मां बहन की गाली देते हुए जान से मारने की नियम से फायर कर किये, गोली मिस होने पर अक्षय सिंह द्वारा असलहे की बट से मार कर हमको लहुलुहान कर दिये। शेर शराबा व लोगो के जुट जाने से जान से मार डालने की धमकी देते हुए व असलहा लहराते हुए फरार हो गये। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0आ0सं0 602/2025 धारा 191(2),191(3),109,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के पास से अवैध पिस्टल व जिन्दा कारतूस बरामद होने के आधार पर 7/25 आमर्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**\* नितीश सिंह उर्फ अक्षय सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह निवासी अमौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

**\*बरामदगी का विवरण:-**\* 01 अदद पिस्टल 9MM व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

**\*आपराधिक इतिहास:-**\*

- मु0आ0सं0 148/2023 धारा 147,323,325,452,504,506,120बी भादवी0 थाना लालगंज जनपद बस्ती।
- मु0आ0सं0 500/2023 धारा 147,323,504,506,307 भादवी0।
- मु0आ0सं0 501/2023 धारा 504,506 भादवी0।
- मु0आ0सं0 586/2024 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 2024 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0आ0सं0 602/2025 धारा 191(2),191(3),109,351(3) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

**\*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-**\* प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जय प्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 जितेन्द्र यादव, का0 सोनू कुमार, का0 रजनीश यादव का0 मुकेश कुमार।

\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 03 अभियुक्तों को 24 घंटे के अन्दर किया गिरफ्तार\*

\*अभियुक्तों के पास से एक अदद पिस्टल .32 बोर मय मैग्जीन, एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अदद बुलेट मोटर साइकिल बरामद\*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद \*श्री अजय सिंह\* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद \*श्री पंकज कुमार पाण्डेय\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 01.12.2025 को हत्या के प्रयास में संलिप 03 अभियुक्तगण नाम पता 01. रणवीर सिंह उर्फ आलोक सिंह पुत्र झिनकू सिंह निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. अमन सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला निवासी परमेश्वरपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर हाल मुकाम निकट थामस स्कूल बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मोहम्मदपुर कठार तिराहा मगहर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के पास से एक अदद पिस्टल .32 बोर मय मैग्जीन, एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अदद बुलेट मोटर साइकिल बरामद बरामद किया गया।

\*घटना का विवरण:-\* दिनांक 02.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी श्री काशीनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व० मोती त्रिपाठी निवासी रुदौली उर्फ मठिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरे पुत्र सन्तोष मणि त्रिपाठी उर्फ भोला घरेलू कामकाज हेतु मेंहदावल बाईपास पर गया था वहीं पर पहले से घात लगाकर आलोक सिंह पुत्र झिनकू सिंह निवासी निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर उनका भतीजा अमन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व लल्ला शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, चन्दन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी अततौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व कुछ अन्य अज्ञात इन सभी लोगों ने गम्भीर साजिश के तहत मेरे पुत्र को दौड़ाकर गोली मारे तथा मां बहन को गाली देते हुए मौके से भाग गये आलोक सिंह उर्फ छोटे ने लल्ला शुक्ला को उत्तेजित करते हुए कहा कि आज मौका मिला है भोले को जान से मार दो, जो कियह घटना जान से मारने के नियत से किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु030सं0 1120/2025 धारा 109(1),351(3),352,61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के पास से अवैध पिस्टल मय मैग्जीन, जिन्दा कारतूस व बुलेट मोटर साइकिल बरामद होने के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, धारा 207 एमवी एक्ट, धारा 191(2),191(3),190,3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-\*

01. रणवीर सिंह उर्फ आलोक सिंह पुत्र झिनकू सिंह निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. अमन सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला निवासी परमेश्वरपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर हाल मुकाम निकट थामस स्कूल बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

\*बरामदगी का विवरण:-\*

01. एक अदद पिस्टल .32 बोर मय मैग्जीन।
02. एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
03. एक अदद बुलेट मोटर साइकिल।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास\*

रणवीर सिंह उर्फ आलोक सिंह पुत्र झिनकू सिंह निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का आपराधिक इतिहास:-

01. मु030सं0 1322/2017 धारा 394,506 भादवी0 थाना बखिरा।

02. मु0अ0सं0 1373/2017 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना बखिरा ।
03. मु0अ0सं0 1374/2017 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना बखिरा ।
04. मु0अ0सं0 678/2023 धारा 143,186,341,336,352,353,504,506 भादवि0 व 07 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद ।
05. मु0अ0सं0 481/2025 धारा 191(2),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद ।

**अमन सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी अनर्झ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का आपराधिक इतिहास:-**

01. मु0अ0सं0 685/2022 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद ।
02. मु0अ0सं0 855/2023 धारा 323,504,506,427 भा0द0वि03(1)द,ध एसीएसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद ।
03. मु0अ0सं0 174/2025 धारा 115(2),352,351(3),324(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद ।

**\*विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला निवासी परमेश्वरपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर हाल मुकाम निकट सेन्ट थामस स्कूल बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का आपराधिक इतिहास:-\***

01. मु0अ0सं0 0376/2018 थाना दुधारा ।
02. मु0अ0सं0 0838/2023 धारा 504,506,427 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद ।
03. मु0अ0सं0 289/2018 धारा 411,419,420,467,468,471,379,120बी भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना मेंहदावल ।
04. मु0अ0सं0 290/2018 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मेंहदावल ।
05. मु0अ0सं0 291/2018 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना मेंहदावल ।
06. मु0अ0सं0 72/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना मेंहदावल ।

**\*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-\***

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, उ0नि0 श्री इल्ताफ खान, हे0 का0 देवेन्द्र यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 पंकज कुमार विश्वकर्मा, का0 रंजन कुमार, का0 सुनील पाल । प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 अनूप कुमार राय, हे0का0 विवेक कुमार राय, का0 सर्वेश कुमार मिश्रा, का0 दीपक सिंह, का0 वीर बहादुर यादव, का0 शुभम कुमार, का0 विवेक मिश्रा एस0ओ0जी0/स्वाट टीम संतकबीरनगर ।